



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 296]

No. 296]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 28, 2002/आषाढ़ 7, 1924

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 28, 2002/ASADHA 7, 1924

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 27 जून, 2002

सा.का.नि. 457(अ).—केन्द्रीय सरकार, तेल समन्वय समिति को समाप्त के पारणामस्वरूप नाफथा (अर्जन, बिक्री, भंडारण और आटोमोबाइल में उपयोग का निवारण) आदेश, 2000 के खंड 4 के अनुसरण में अपमिश्रणरोधी कक्ष, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के निम्न अधिकारियों को 1-4-2002 से उक्त आदेश के अधीन तलाशी और अभिग्रहण की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है :—

- (1) महानिदेशक
- (2) क्षेत्रीय निदेशक
- (3) उप निदेशक
- (4) सहायक निदेशक

इस आदेश से दिनांक 11 मई, 2001 का सा.का.नि. 338(अ) और दिनांक 24 अगस्त, 2001 का सा.का.नि. 618(अ) आदेश निष्प्रभावी हो गए हैं।

[फा. सं. पी.-11013/3/2001-वितरण]

एस. विजयराघवन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

ORDER

New Delhi, the 27th June, 2002

G.S.R. 457(E).—Consequent upon winding up of the Oil Co-ordination Committee, and in pursuance of clause 4 of the Naphtha (Acquisition, Sale, Storage and Prevention of use in Automobiles) Order, 2000, the Central Government hereby authorises the following Officers of the Anti-Adulteration Cell, Ministry of Petroleum and Natural Gas, as the authority to exercise the powers of search and seizure under the said Order w.e.f. 1-4-2002

- (1) Director General
- (2) Regional Directors

(3) Deputy Directors

(4) Assistant Directors

This supersedes orders no. G.S.R. 338(E) dated 11th May, 2001 and G.S.R. 618(E) dated 24th August, 2001.

[F. No. P-11013/3/2001-Dist.]

S. VIJAYARAGHAVAN, Jt. Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 27 जून, 2002

सा.का.नि. 458(अ).—केन्द्रीय सरकार, तेल समन्वय समिति की समाप्ति के परिणामस्वरूप विलायक रेफिनेट और स्लाप (अर्जन, विक्रय, भंडारण और आटोमोनाइल में उपयोग का निवारण) आदेश, 2000 के खंड 4 के अनुसरण में अपमिश्रणरोधी कक्ष, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के निम्न अधिकारियों को 1-4-2002 से उक्त आदेश के अधीन तलाशी और अभिग्रहण की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है :—

- (1) महानिदेशक
- (2) क्षेत्रीय निदेशक
- (3) उप निदेशक
- (4) सहायक निदेशक

इस आदेश से दिनांक 11 मई, 2001 का सा.का.नि. 339(अ) और दिनांक 24 अगस्त, 2001 का सा.का.नि. 619(अ) आदेश निष्प्रभावी हो गए हैं।

[फा. सं. पी.-11013/3/2001-वितरण]

एस. विजयराघवन, संयुक्त सचिव

ORDER

New Delhi, the 27th June, 2002

G.S.R. 458(E).—Consequent upon winding up of the Oil Co-ordination Committee, and in pursuance of clause 4 of the Solvent, Raffinate and Slop (Acquisition, Sale, Storage and Prevention of use in Automobiles) Order, 2000, the Central Government hereby authorises the following Officers of the Anti-Adulteration Cell, Ministry of Petroleum and Natural Gas, as the authority to exercise the powers of search and seizure under the said Order w.e.f. 1-4-2002 :—

- (1) Director General
- (2) Regional Directors
- (3) Deputy Directors
- (4) Assistant Directors

This supersedes orders no. G.S.R. 339(E) dated 11th May, 2001 and G.S.R. 619(E) dated 24th August, 2001.

[F. No. P-11013/3/2001-Dist.]

S. VIJAYARAGHAVAN, Jt. Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 27 जून, 2002

सा.का.नि. 459(अ).—केन्द्रीय सरकार, तेल समन्वय समिति की समाप्ति के परिणामस्वरूप पेट्रोलियम उत्पाद (उत्पादन, भंडारण और प्रदाय का रख-रखाव) आदेश, 1999 के खंड 9 के अनुसरण में अपमिश्रणरोधी कक्ष, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के निम्न अधिकारियों को 1-4-2002 से उक्त आदेश के अधीन तलाशी और अभिग्रहण की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है :—

- (1) महानिदेशक
- (2) क्षेत्रीय निदेशक
- (3) उप निदेशक
- (4) सहायक निदेशक

इस आदेश से दिनांक 11 मई, 2001 का सा.का.नि. 340(अ) और दिनांक 24 अगस्त, 2001 का सा.का.नि. 620(अ) आदेश निष्प्रभावी हो गए हैं।

[फा. सं. पी. 11013/3/2001-वितरण]

एस. विजयराघवन, संयुक्त सचिव

ORDER

New Delhi, the 27th June, 2002

G.S.R. 459(E).—Consequent upon winding up of the Oil Co-ordination Committee, and in pursuance of clause 9 of the Petroleum Products (Maintenance of Production, Storage and Supply) Order, 1999, the Central Government hereby authorises the following Officers of the Anti-Adulteration Cell, Ministry of Petroleum and Natural Gas, as the authority to exercise the powers of search and seizure under the said Order w.e.f. 1-4-2002 :—

- (1) Director General
- (2) Regional Directors
- (3) Deputy Directors
- (4) Assistant Directors

This supersedes orders No. G.S.R. 340(E) dated 11th May, 2001 and G.S.R. 620(E) dated 24th August, 2001.

[F. No. P-11013/3/2001-Dist.]

S. VIJAYARAGHAVAN, Jt. Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 27 जून, 2002

सा.का.नि. 460(अ).—केन्द्रीय सरकार, तेल समन्वय समिति को समाप्त के परिणामस्वरूप मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश, 1998 के खंड 4 के अनुसरण में अपमिश्रणरोधी कक्ष, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के निम्न अधिकारियों को 1-4-2002 से उक्त आदेश के अधीन तलाशी और अभिग्रहण की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है :—

- (1) महानिदेशक
- (2) क्षेत्रीय निदेशक
- (3) उप निदेशक
- (4) सहायक निदेशक

इस आदेश से दिनांक 11 मई, 2001 का सा.का.नि. 341(अ) और दिनांक 24 अगस्त, 2001 का सा.का.नि. 621(अ) आदेश निष्प्रभावी हो गए हैं।

[फ. सं. पी-11013/3/2001-वितरण]

एस. विजयाराघवन, संयुक्त सचिव

ORDER

New Delhi, the 27th June, 2002

G.S.R. 460(E).—Consequent upon winding up of the Oil Co-ordination Committee, and in pursuance of clause 4 of the Motor Spirit and High Speed Diesel (Regulation of Supply and Distribution and Prevention of Malpractices) Order, 1998, the Central Government hereby authorises the following Officers of the Anti-Adulteration Cell, Ministry of Petroleum and Natural Gas, as the authority to exercise the powers of search and seizure under the said Order w.e.f. 1-4-2002 :—

- (1) Director General
- (2) Regional Directors
- (3) Deputy Directors
- (4) Assistant Directors

This supersedes orders No. G.S.R. 341(E) dated 11th May, 2001 and G.S.R. 621(E) dated 24th August, 2001.

[F. No. P-11013/3/2001-Dist.]

S. VIJAYARAGHAVAN, Jt. Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 27 जून, 2002

सा.का.नि. 459(अ).—केन्द्रीय सरकार, तेल समन्वय समिति को समाप्त के परिणामस्वरूप किरोसिन (उपयोग पर निर्बंधन और अभिक्रम कोमत नियतन) आदेश, 1993 के खंड 9 के अनुसरण में अपमिश्रणरोधी कक्ष, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के निम्न

अधिकारियों को 1-4-2002 से उक्त आदेश के अधीन तलाशी और अभिग्रहण की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है :—

- (1) महानिदेशक
- (2) क्षेत्रीय निदेशक
- (3) उप निदेशक
- (4) सहायक निदेशक

इस आदेश से दिनांक 11 मई, 2001 का सा.का.नि. 342(अ) और दिनांक 24 अगस्त, 2001 का सा.का.नि. 622(अ) आदेश निष्प्रभावी हो गए हैं।

[फा. सं. पी-11013/3/2001-वितरण]

एस. विजयराघवन, संयुक्त सचिव

ORDER

New Delhi, the 27th June, 2002

G.S.R. 461(E).—Consequent upon winding up of the Oil Co-ordination Committee, and in pursuance of clause 9 of the Kerosene (Restriction on Use and Fixation of Ceiling Price) Order, 1993, the Central Government hereby authorises the following Officers of the Anti-Adulteration Cell, Ministry of Petroleum and Natural Gas, as the authority to exercise the powers of search and seizure under the said Order w.e.f. 1-4-2002 :—

- (1) Director General
- (2) Regional Directors
- (3) Deputy Directors
- (4) Assistant Directors

This supersedes orders No. G.S.R. 342(E) dated 11th May, 2001 and G.S.R. 622(E) dated 24th August, 2001.

[F. No. P-11013/3/2001-Dist.]

S. VIJAYARAGHAVAN, Jr. Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 27 जून, 2002

सा.का.नि. 462(अ).—केन्द्रीय सरकार, तेल समन्वय समिति की समाप्ति के परिणामस्वरूप दूबीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियम) आदेश, 2000 के खंड 13 के अनुसरण में अपमिश्रणरोधी कक्ष, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के निम्न अधिकारियों को 1-4-2002 से उक्त आदेश के अधीन तलाशी और अभिग्रहण की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है :—

- (1) महानिदेशक
- (2) क्षेत्रीय निदेशक
- (3) उप निदेशक
- (4) सहायक निदेशक

इस आदेश से दिनांक 11 मई, 2001 का सा.का.नि. 343(अ) और दिनांक 24 अगस्त, 2001 का सा.का.नि. 623(अ) आदेश निष्प्रभावी हो गए हैं।

[फा. सं. पी-11013/3/2001-वितरण]

एस. विजयराघवन, संयुक्त सचिव

ORDER

New Delhi, the 27th June, 2002

G.S.R. 462(E).—Consequent upon winding up of the Oil Co-ordination Committee, and in pursuance of clause 13 of the Liquefied Petroleum Gas (Regulation of Supply and Distribution) Order, 2000, the Central Government hereby authorises the following Officers of the Anti-Adulteration Cell, Ministry of Petroleum and Natural Gas, as the authority to exercise the powers of search and seizure under the said Order w.e.f. 1-4-2002 :—

- (1) Director General
- (2) Regional Directors
- (3) Deputy Directors
- (4) Assistant Directors

This supersedes orders No. G.S.R. 343(E) dated 11th May, 2001 and G.S.R. 623(E) dated 24th August, 2001.

[F. No. P-11013/3/2001-Dist.]

S. VIJAYARAGHAVAN, Jt. Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 27 जून, 2002

सा.का.नि. 463(अ).—केन्द्रीय सरकार, तेल समन्वय समिति की समाप्ति के परिणामस्वरूप स्नेहक तेल और ग्रीस (प्रसंस्करण, प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश, 1987 के खंड 8 के अनुसरण में अपमिश्रणरोधी कक्ष, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के निम्न अधिकारियों को 1-4-2002 से उक्त आदेश के अधीन तलाशी और अभिग्रहण की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है :—

- (1) महानिदेशक
- (2) क्षेत्रीय निदेशक
- (3) उप निदेशक
- (4) सहायक निदेशक

इस आदेश से दिनांक 11 मई, 2001 का सा.का.नि. 344(अ) और दिनांक 24 अगस्त, 2001 का सा.का.नि. 624(अ) आदेश निष्प्रभावी हो गए हैं।

[फा. सं. पी.-11013/3/2001-वितरण]

एस. विजयराघवन, संयुक्त सचिव

ORDER

New Delhi, the 27th June, 2002

G.S.R. 463(E).—Consequent upon winding up of the Oil Co-ordination Committee, and in pursuance of clause 8 of the Lubricating Oils and Greases (Processing Regulation of Supply and Distribution Regulation) Order, 1987, the Central Government hereby authorises the following Officers of the Anti-Adulteration Cell, Ministry of Petroleum and Natural Gas, as the authority to exercise the powers of search and seizure under the said Order w.e.f. 1-4-2002 :—

- (1) Director General
- (2) Regional Directors
- (3) Deputy Directors
- (4) Assistant Directors

This supersedes orders No. G.S.R. 344(E) dated 11th May, 2001 and G.S.R. 624(E) dated 24th August, 2001.

[F. No. P-11013/3/2001-Dist.]

S. VIJAYARAGHAVAN, Jt. Secy.

2036/21/02-2